

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 3634-F 16

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण

429

1. मकबूल अहमद पुत्र अब्दुल शकूर खां
निवासी-किडी सिरोंज जिला-दिदिशा
2. सईदमियां पुत्र अब्दुल शकूर खां
निवासी-किडी सिरोंज जिला-दिदिशा
3. मौ.सिददीक पुत्र अब्दुल शकूर खां
निवासी-किडी सिरोंज जिला-दिदिशा
4. मौ.इदरीश खां पुत्र अब्दुल शकूर खां
निवासी-किडी सिरोंज जिला-दिदिशा
5. सादिक
6. साजिद
7. खालिद
8. आमिर पुत्रगण मौ.साबिर
9. सुमइया
10. रुकइया पुत्रीयां मौ.साबिर
11. फातिमाबी पत्नी मौ.साबिर
निवासी-किडी सिरोंज जिला-दिदिशा
विरुद्ध

मौ.सुमइया पुत्री
द्वारा धारा 50 म.प्र.
प्रस्तुत
20/10/16

331
20-10-16

मौ.सुमइया
20/10/16

मौ.साबिर
20/10/16

1. अब्दुल कदीर खां पुत्र अब्दुल शकूर खां
निवासी -किडी सिरोंज
2. जीनत ओनिशा पुत्री अब्दुल शकूर खां
पत्नी मौ.शफीक खां निवासी-बड़ा बाजार
जिला-विदिशा
3. खैरुनिशा पुत्री अब्दुल शकूर खां पत्नी
मौ.रफीक खां निवासी-लक्ष्मी टॉकीज के पास
भोपाल म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज में प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 14/10/2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.


2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3637-एक/16

जिला - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 05-12-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |